

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरु ए.एस.

प्रकरण सं० : 133/2018

अनवान :



1. बहादुरसिंह पुत्र मोलूराम जाति जाट निवासी छानीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

- वादी


बनाम

1. रामस्वरूप } पुत्रान मोलूराम जाति जाट निवासी छानीबडी
2. दलीपसिंह } तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। राजस्थान
3. जगदीश प्रसाद पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी छानीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
4. इमरती देवी पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी छानीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
5. मेसर } पुत्रियां धर्मपाल जाति जाट निवासी छानीबडी
6. धापी उर्फ कमला } तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
7. छन्नो उर्फ सुशीला }
8. राकेश कुमार } पि० सन्तरो उर्फ सन्तोष पुत्री धर्मपाल
9. गुलाबसिंह } जाति जाट निवासी छानीबडी
10. विक्रम सिंह } तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
11. विमला देवी पत्नी निहालसिंह जाति जाट निवासी छानीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
12. मदन मोहन पुत्र निहालसिंह जाति जाट निवासी छानीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
13. राजेश पुत्र निहालसिंह जाति जाट निवासी छानीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
14. सुशील पुत्र निहालसिंह जाति जाट निवासी छानीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
15. सुरेश पुत्र निहालसिंह जाति जाट निवासी छानीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
16. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन सिहाग व वकील प्रतिवादीगण सं० 1 ता 3 श्री गुरुनामसिंह व वकील प्रतिवादीगण सं० 11 ता 15 श्री रामचन्द्र बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा मुताबिक राजीनामा मय रंगदार नक्शा के वाद भूमि पक्षकारान के हिस्सा में निम्नानुसार रहेगी :-


1. वादी बहादुरसिंह पुत्र मोलूराम जाति जाट सा० छानीबडी खातेदार के हिस्सा में आई भूमि :- रोही मौजा चक 4 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 240/91 के

  
6.8.19  
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)  
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

- मु०नं० 30 के किला नं० 2/4 की 0.030 है०, किला नं० 4/1 की 0.051 है० किला नं० 5/3 की 0.028 है० किला नं० 14/2 की 0.046 है० किला नं० 17/2 की 0.035 है० कुल 5 किता की कुल 0.190 है० बाराणी कृषि भूमि।
2. प्रतिवादी सं० 1 रामस्वरूप पुत्र मोलुराम जाति जाट सा० छानीबडी खातेदार के हिस्सा में आई भूमि : चक 4 जेजीडब्ल्यु के मु०नं० 30 के किला नं० 2/3 की 0.029 है०, किला नं० 3/2 की 0.058 है० किला नं० 5/2 की 0.055 है० किला नं० 14/1 की 0.054 है०, किला नं० 17/1 की 0.029 है०, कुल किता 5 की 0.225 है० बाराणी
  3. प्रतिवादी सं० 2 दलीप वल्द मोलुराम जाति जाट सा० छानीबडी खातेदार के हिस्सा में आई कृषि भूमि :- चक 7 जेजीडब्ल्यु के मु.नं. 30 के किला नं० 2/6 की 0.028 है० किला नं० 3/3 की 0.049 है० किला नं० 4/3 की 0.034 है० किला नं० 5/5 की 0.031 है० किला नं० 14/4 की 0.058 है० किला नं० 17/4 की 0.027 है० कुल किता 6 कुल क्षेत्रफल 0.227 है० बाराणी
  4. प्रतिवादी सं० 3 जगदीश प्रसाद वल्द धर्मपाल जाति जाट सा० छानीबडी खातेदार के हिस्सा में आई कृषि भूमि : चक 7 जेजीडब्ल्यु के मु०नं० 30 के किला नं० 2/5 की 0.039 है० किला नं० 4/2 की 0.079 है० किला नं० 5/4 की 0.025 है० किला नं० 9/2 की 0.034 है० किला नं० 14/3 की 0.048 है० किला नं० 17/3 की 0.033 है० कुल किता 6 कुल क्षेत्रफल 0.258 है० बाराणी
  5. प्रतिवादी 11 बिमला देवी पत्नि निहालसिंह 1/3, प्रतिवादी सं० 12 मदन मोहन, प्रतिवादी सं० 13 राजेश, प्रतिवादी सं० 14 सुशील, प्रतिवादी सं० 15 सुरेश 2/3 हिस्सा जाति जाट सा० छानीबडी खातेदार : चक 4 जेजीडब्ल्यु के मु०नं० 30 के किला नं० 2/2 की 0.029 है०, किला नं० 3/1 की 0.057 है० किला नं० 5/1 की 0.025 है० किला नं० 14 की 0.047 है०, किला नं० 17 की 0.028 है० कुल किता 5 कुल क्षेत्रफल 0.186 है० बाराणी

चक 4 जेजीडब्ल्यु के मु०नं० 30 के किला नं० 2/7 की 0.009 है० किला नं० 3/4 की 0.013 है० किला नं० 4/4 की 0.013 है० 5/6 की 0.013 है० कुल रकबा 0.048 है० गै०मु०रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत किया जाता है तथा उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग अलग कायम किया जाकर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद की जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 06.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



06.8.19  
(सुखाराम पिण्डेल)  
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)  
उपखण्डाधिकारी (हनुमानगढ़)  
भादरा, जिला हनुमानगढ़

**न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़**

**पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.**

**प्रकरण सं० : 133/2018**

**अनवान :**

1. बहादुरसिंह पुत्र मोलूराम जाति जाट निवासी छानीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

- वादी

**बनाम**

1. रामस्वरूप } पुत्रान मोलूराम जाति जाट निवासी छानीबडी
2. दलीपसिंह } तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। राजस्थान
3. जगदीश प्रसाद पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी छानीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
4. इमरती देवी पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी छानीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
5. मेसर } पुत्रियां धर्मपाल जाति जाट निवासी छानीबडी
6. धापी उर्फ कमला } तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
7. छन्नो उर्फ सुशीला }
8. राकेश कुमार } पि० सन्तरो उर्फ सन्तोष पुत्री धर्मपाल
9. गुलाबसिंह } जाति जाट निवासी छानीबडी
10. विक्रम सिंह } तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
11. विमला देवी पत्नी निहालसिंह जाति जाट निवासी छानीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
12. मदन मोहन पुत्र निहालसिंह जाति जाट निवासी छानीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
13. राजेश पुत्र निहालसिंह जाति जाट निवासी छानीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
14. सुशील पुत्र निहालसिंह जाति जाट निवासी छानीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
15. सुरेश पुत्र निहालसिंह जाति जाट निवासी छानीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
16. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

**दावा बाबत इस्तकरार हक**

**अन्तर्गत धारा 53, 188 राज.काश्त.अधि. 1955**

**उपस्थिति : वकील श्री पवन सिहाग : वादी**

**वकील श्री गुरूनामसिंह : प्रतिवादी सं० 1 ता 3**

**वकील श्री रामचन्द्र बैनीवाल : प्रति. सं. 11 ता 15**

**निर्णय**

**दिनांक : 06.08.2019**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि चक 4 जेजीडब्ल्यु के खाता सं० 91/86 के मु०नं० 30 के किला नं० 2/2 की 0.164 है०, किला नं० 3/1 की 0.177 है० किला नं० 4/1 की 0.177 है० किला नं० 5/1 की 0.177 है०, किला

**उपखण्डाधिकारी (राजस्व)  
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)**

बहादुरसिंह बनाम रामरूपरूप आदि

नं० 9/2 की 0.034 है०, किला नं० 14 की 0.253 है० किला नं० 17 की 0.152 है० कुल 1.134 है० बाराणी 1.086 है० रास्ता 0.048 है० भूमि खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें वादी का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 1 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 2 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 3 का 11/180 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 4 ता 7 का संयुक्त रूप से 1/9 हिस्सा बहिस्सा बराबर, प्रतिवादी सं० 8 ता 10 प्रत्येक का संयुक्त रूप से 1/36 हिस्सा बहिस्सा बराबर, प्रतिवादी सं० 11 का 1/15 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 12 ता 15 का संयुक्त रूप से 2/15 हिस्सा बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त संयुक्त काश्त की कृषि भूमि की बाबत पक्षकारान में कृषि भूमि के माल, लगान, बंटाई आदि को लेकर आपस में तनाजा बना रहता है। इसलिए वादी उपर वर्णित कृषि भूमि में से अपने हिस्से की कृषि भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड अच्छी में से अच्छी व मंदी में से मंदी के हिसाब से खाता विभाजन करवा पाने का कानूनी अधिकारी है तथा वादी के हिस्से में आई कृषि भूमि में आवागमन हेतु रास्ता स्वीकृत करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। प्रतिवादीगण वादी के साथ आये दिन झगड़ा फसाद करते रहते हैं और उसके हिस्से की कृषि भूमि को काश्त करने से रोकते रहते हैं। इसलिए वादी प्रतिवादीगण को जरिऐ स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवा पाने का कानूनी अधिकारी है कि वादी को उसके हिस्से की कृषि भूमि को काश्त करने से नहीं रोके।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं० 11 ता 15 ने वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 3 द्वारा किये गये राजीनामा पर सहमति जाहिर करते हुए सहमति पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण सं० 4 ता 10 को तर्क किया गया। प्रतिवादी सं० 16 परोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में वादी बहादुरसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यापित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 4 जेजीडब्ल्यु खाता सं० 91/86 सम्वत् 2070 से 73 प्रदर्श 1, नजरी नक्शा चक 4 जेजीडब्ल्यु प्रदर्श 2 व 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के कथनों को दौहराते हुए मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत वाद वादी ने चक 4 जेजीडब्ल्यु के राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज भूमि का खाता व लगान अन्य सहखातेदार से अलग कायम करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने जो अपने दावा में पक्षकारान की हिस्सा का विवरण दिया है वह जमाबन्दी प्रदर्श 1 के मिलान करने पर सही पाया गया है। वादी एवं प्रतिवादीगण सं० 1 ता 3 व प्रतिवादीगण सं० 11 ता 15 में मुताबिक राजीनामा खाता व लगान अलग अलग कायम किये जाने पर समहति हो गई है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा मय रंगदार नक्शा के डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा मुताबिक राजीनामा मय रंगदार नक्शा के वाद भूमि पक्षकारान के हिस्सा में निम्नानुसार रहेगी :-

15.8.12

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)


2018/00262

बहादुरसिंह बनाम रामस्वरूप आदि

1. वादी बहादुरसिंह पुत्र मोलुराम जाति जाट सा0 छानीबडी खातेदार के हिस्सा में आई भूमि :- रोही मौजा चक 4 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 240/91 के मु0नं0 30 के किला नं0 2/4 की 0.030 है0, किला नं0 4/1 की 0.051 है0 किला नं0 5/3 की 0.028 है0 किला नं0 14/2 की 0.046 है0 किला नं0 17/2 की 0.035 है0 कुल 5 किता की कुल 0.190 है0 बारानी कृषि भूमि।
2. प्रतिवादी सं0 1 रामस्वरूप पुत्र मोलुराम जाति जाट सा0 छानीबडी खातेदार के हिस्सा में आई भूमि : चक 4 जेजीडब्ल्यु के मु0नं0 30 के किला नं0 2/3 की 0.029 है0, किला नं0 3/2 की 0.058 है0 किला नं0 5/2 की 0.055 है0 किला नं0 14/1 की 0.054 है0, किला नं0 17/1 की 0.029 है0, कुल किता 5 की 0.225 है0 बारानी
3. प्रतिवादी सं0 2 दलीप वल्द मोलुराम जाति जाट सा0 छानीबडी खातेदार के हिस्सा में आई कृषि भूमि :- चक 7 जेजीडब्ल्यु के मु.नं. 30 के किला नं0 2/6 की 0.028 है0 किला नं0 3/3 की 0.049 है0 किला नं0 4/3 की 0.034 है0 किला नं0 5/5 की 0.031 है0 किला नं0 14/4 की 0.058 है0 किला नं0 17/4 की 0.027 है0 कुल किता 6 कुल क्षेत्रफल 0.227 है0 बारानी
4. प्रतिवादी सं0 3 जगदीश प्रसाद वल्द धर्मपाल जाति जाट सा0 छानीबडी खातेदार के हिस्सा में आई कृषि भूमि : चक 7 जेजीडब्ल्यु के मु0नं0 30 के किला नं0 2/5 की 0.039 है0 किला नं0 4/2 की 0.079 है0 किला नं0 5/4 की 0.025 है0 किला नं0 9/2 की 0.034 है0 किला नं0 14/3 की 0.048 है0 किला नं0 17/3 की 0.033 है0 कुल किता 6 कुल क्षेत्रफल 0.258 है0 बारानी
5. प्रतिवादी 11 बिमला देवी पत्नि निहालसिंह 1/3, प्रतिवादी सं0 12 मदन मोहन, प्रतिवादी सं0 13 राजेश, प्रतिवादी सं0 14 सुशील, प्रतिवादी सं0 15 सुरेश 2/3 हिस्सा जाति जाट सा0 छानीबडी खातेदार : चक 4 जेजीडब्ल्यु के मु0नं0 30 के किला नं0 2/2 की 0.029 है0, किला नं0 3/1 की 0.057 है0 किला नं0 5/1 की 0.025 है0 किला नं0 14 की 0.047 है0, किला नं0 17 की 0.028 है0 कुल किता 5 कुल क्षेत्रफल 0.186 है0 बारानी

चक 4 जेजीडब्ल्यु के मुनं0 30 के किला नं0 2/7 की 0.009 है0 किला नं0 3/4 की 0.013 है0 किला नं0 4/4 की 0.013 है0 5/6 की 0.013 है0 कुल रकबा 0.048 है0 गै0मु0रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत किया जाता है तथा उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग अलग कायम किया जाकर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद की जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुखाराम पिण्डेल)  
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)  
उपखण्डाधिकारी (हनुमानगढ़)  
भादरा, जिला हनुमानगढ़